Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

ओ.पी.टेलर बनाम **लोक सूचना अधिकारी**

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 098 सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18 OCT 2021	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो बाद जांच पेश हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी ओ.पी. टेलर (मो. 7742644681) निवासी बानसेन चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में किस लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है तथा उसके (अपीलार्थी) द्वारा क्या सूचना चाही गई इसका स्पष्ट उल्लेख प्रस्तुत नहीं किया है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपने प्रथम अपील आवेदन में लोक सूचना अधिकारी को पूर्व में प्रस्तुत आवेदन की प्रति संलग्न नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन में स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी सारहीन होने खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी ओ.पी. टेलर (मो. 7742644681) निवासी बानसेन चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील अपीलार्थी स्पष्ट विवरण के अभाव में सारहीन होने से खारीज की जाती है। प्रतिलिपि संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। (तारा चन्द मीणा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official